प्रधान मंत्री रोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत की स्वतंत्रता की 61वें वर्षगांठ के अवसर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन हेतु प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को मिलाते हुए **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** नामक एक नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम आरंभ की है। पीएमआरवाई और आरईजीपी दिनांक 31.03.2008 तक प्रचालन में थे। पीएमईजीपी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम होगी और इसका संचालन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

2. पीएमआरवाई वर्ष 1994-95 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई थी। इस योजना के तहत सब्सिडी स्तर, परियोजनाओं अथवा इकाईयों के लिए लागत सीमा आरईजीपी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सब्सिडी की तुलना में न्यूनतम और कम आकर्षक था। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पीएमआरवाई के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अधिकतम सब्सिडी 12500/- रुपये तथा अधिकतम परियोजना लागत 5 लाख रुपये थी जबकि आरईजीपी के तहत इन्ही लाभार्थियों के लिए अधिकतम सब्सिडी 4 लाख रुपये तथा अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये थी। कई राज्य सरकारों द्वारा स्व-रोजगार अवसरों के सृजन हेतु पीएमआरवाई की तुलना में अत्यधिक आकर्षक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा था। पीएमआरवाई के तहत ऋण वसूली दर आरईजीपी की तुलना में कम था। पीएमआरवाई की तुलना में पीएमईजीपी में सब्सिडी स्तर और परियोजनाओं की लागत सीमा बेहतर होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएमईजीपी की चयन प्रक्रिया, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग प्रद्वति और सुदृढ़ हो तथा आरईजीपी की आकर्षकता पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

3.	पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी स्तर निम्नानुसार है:-

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणी	स्वामी का अंशदान	सब्सिडी का दर	
		(परियोजना लागत का)	
क्षेत्र		शहरी	ग्रामीण
सामान्य	10%	15%	25%
विशेष (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रुप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमान्त क्षेत्र)	05%	25%	35%

4.	विनिर्माण क्षेत्र के लिए परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है जबकि व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये है। लाभार्थियों के लिए कोई भी वार्षिक आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत के संबंध में लाभार्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी। लाभार्थियों का चयन पंचायतों तथा विशेष जागरुकता शिविरों की मदद से की जाएगी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के तहत अब तीन दिन के स्थान पर दो से तीन सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। परियोजना में आवेदनपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, स्थापित परियोजनाओं/इकाईयों की 100 प्रतिशत जांच तथा बैंकों के सहयोग से नमूना परियोजना रुपरेखाओं के अद्यतन की परिकल्पना की गई है। स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जाएगा। केवीआईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा, जो प्रतिभागी बैंकों के साथ सरकारी सब्सिडी निधि जारी करेगा, ताकि स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त निधि का संवितरण लाभार्थियों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा उनका स्व-अंशदान " अपफ्रंट" आने के पश्चात किया जाएगा।

5.	राष्ट्रीय स्तर पर पीएमईजीपी के कार्यान्वयन हेतु केवीआईसी को समग्र जिम्मेदारी दी गई है और अधिनियम में यथा परिभाषित, केवीआईसी अपने राज्य कार्यालयों और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यों के मामले में वह प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कर सकता है। शहरी तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

राज्य सरकारों (जिला उद्योग केन्द्रों) के माध्यम से केवीआईसी के समन्वय से किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरु की गई राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत भी पीएमईजीपी के लाभार्थियों को पथ-प्रदर्शक सहायता प्रदान किया जा सकता है।

6. बजट अनुमान 2008-09 में पीएमईजीपी के लिए 823 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें "बैकवर्ड और फारवर्ड लिकेंज" के लिए 83 करोड़ रुपये शामिल है। बैकवर्ड और फारवर्ड लिकेंज के तहत ईडीपी, प्रचार, विपणन सहायता, आवेदन पत्रों की ई-ट्रैकिंग, परियोजनाओं की वास्तविक जांच इत्यादि की जानी है। वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 6.17 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किये जाने का अनुमान है। वर्ष 2008-09 से 2011-2012 तक के दौरान सूक्ष्म उद्यमों के लिए बैकवर्ड और फारवर्ड लिकेंज प्रदान करने हेतु निर्धारित 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी हेतु कुल 4485 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमानित है, जिससे लगभग 37.38 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। स्कीम के कार्यान्वयन के दो वर्ष बाद इसकी स्वतंत्र रुप से समीक्षा की जाएगी।

7. स्कीम के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश केवीआईसी द्वारा तैयार की जा रही है तथा इसे प्रकाशित करते हुए अतिशीघ्र वेबसाइट में भी उपलब्ध करायी जाएगी।